I/1610/2024

उत्तराखण्ड पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

निकट- ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड

गढीकैन्ट, देहरादून- 248001

दूरभाष 2559898-0135 -फैक्स2559988-

पत्र सं0:4321 / 2–7–306 / 2023–24 दिनांक:24 अक्टूबर 2024

– कार्यालय ज्ञाप–

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0– 2272/VI/2018-04(01)/2017 दिनांक 26 नवम्बर 2018 द्वारा पर्यटन नीति–2018 प्रख्यापित की गई थी। वर्तमान में अधिसूचना सं0. I / 112351 / 2023 दिनांक 05 अप्रैल 2023 से प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2023–30 लागू हो जाने के फलस्वरूप पर्यटन नीति–2018 निष्प्रभावी हो गई है।

पर्यटन नीति–2018 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु परियोजना स्वीकृति के दो वर्षो में कार्य पूर्ण कर व्यावसायिक संचालन के उपरान्त 90 दिनों के भीतर अनुदान हेतु आवेदन किये जाने का प्राविधान किया गया था।

इस सम्बन्ध में पर्यटन नीति–2018 के प्राविधानो के अनुरूप दिनांक 05 अप्रैल 2023 तक सैद्धान्तिक सहमति (CAF) हेतु आवेदित निवेशकों को 02 वर्ष अर्थात दिनांक 04 अप्रैल 2025 तक परियोजना पूर्ण कर व्यवसायिक संचालन प्रारम्भ करने तथा व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ करने के उपरान्त 90 दिन अर्थात दिनांक 04 जुलाई 2025 तक अनुदान हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि एतद्द्वारा निर्धारित की जाती है।

Signed by Sachin Kurve
Date: 22-10-2024 10:42:44
(सचिन कुर्वे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

पृ0प0सं0: (1) / समदिनांकित 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
5. अपर सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक वित्त, पर्यटन मुख्यालय।
8. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. आई0टी0 प्रोग्रामर, यू0टी0डी0बी0 को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।

(डॉ0 पूजा गर्ब्याल)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अवस्थापना।